उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 197 / ।।।(1)–संविदा नियमितीकरण (शेष प्रकरण)–14 दिनांक 20 अगस्त 2014

1– **मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)**
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
नैनीताल क्षेत्र।

2– **सहायक महाप्रबन्धक**
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
रूद्रपुर डिपो, नैनीताल क्षेत्र।

विषयः– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 1–1–2011 से 10 वर्ष पूर्व अर्थात 1.11.2011 तक दैनिक वेतन, कार्य प्रभारी, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त हुए संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण विषयक।

उपर्युक्त विषयक आपके स्तर से दिनांक 1–11–2001 से पूर्व नियुक्त हुए संविदा कार्मिको के रूप से नियुक्त कार्मिको के विनियमितीकरण के प्रस्ताव अपने डिपो की समिति की संस्तुति एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) की संस्तुति के साथ निगम मुख्यालय प्रेषित किये गये। मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

समिति द्वारा डिपो/मण्डलीय प्रबन्धक की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये नैनीताल क्षेत्र के 2 संविदा परिचालको में से 01 संविदा परिचालक के विनियमितीकरण की संस्तुति की गयी है जिस पर निगम मुख्यालय स्तर से निम्न प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1– संविदा कार्मिक के विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित मण्डलीय प्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक उनके सभी अभिलेखों का मूल में सत्यापन कर लें एवं विनियमितीकरण नियमावली–2011 में दिये गये प्राविधानों अर्थात नियम 4 (1) (2) (3) (4) की परिधि में विनियमितीकरण प्रस्ताव का पुनः सत्यापन कर लिया जाय। आप द्वारा विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कार्मिक के विरूद्व किसी भी अनियमितता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) संयुक्त रूप से उत्तरदायी समझे जायेगें।

2– उपरोक्त क्र0सं0–1 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि एक संविदा कार्मिक के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये है अथवा दाखिल किये जायेगें वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरूद्व अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। संविदा कार्मिक द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जायें वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित किये जायें।

3– संविदा कार्मिक के परिचालक पद पर नियुक्ति से पूर्व उनके परिचालक लाईसेन्स एवं अन्य अभिलेखो आदि की जॉच भी कर ली जाये।

नियमित किये जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में वह समस्त औपचारिक्तायें पूर्ण करायी जाये जैसा कि उनकी प्रथम नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमावली के विहित प्राविधानों के अनतर्गत निर्धारित है।

4– विनियमितीकरण नियमावली–2011 के नियम 6 (4) के अनुसार इस नियमावली के अधीन कार्मिक जिस वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) से सम्बन्धित हे, उसका विनियमितीकरण उसी वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) में उपलब्ध पदों/रिक्तियों की सीमा तक किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) के अनुसार अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में आरक्षित श्रेणी का कोई कार्मिक अपनी ज्येष्ठता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति/पद के सापेक्ष विचार क्षेत्र में आ रहा हो तो ऐसे कार्मिक को अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति के सापेक्ष विनियमित किया जायेगा,किन्तु यदि आरक्षित श्रेणी की रिक्ति हो और ऐसी रिक्ति के सापेक्ष विनियमितीकरण हेतु उस आरक्षित श्रेणी का पात्र कार्मिक उपलब्ध न हो तो उस रिक्ति के सापेक्ष किसी अन्य आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के कार्मिक को विनियमित नही किया जायेगा और ऐसी रिक्ति नियमित चयन के माध्यम से सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी से ही भरी जायेगी।

कृपया नियमितीकरण से पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाये।

5– विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित संविदा कार्मिक का नियमानुसार पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तभी विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाये।

6– संविदा कार्मिक आरक्षित श्रेणी के हैं उनके जाति प्रमाण पत्र की जॉच अवश्य करा ली जाये।

7– विनियमितीकरण उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक प्रचलित नियमों की परिधि में न्युनाधिक 1 वर्ष की परीविक्षा अवधि में रहेगें।

8– संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यरत संविदा कार्मिक की नियुक्ति तिथि के वरिष्ठता के आधार पर उक्त सूची को अन्तिमकृत करते हुये ज्येष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

उपर्युक्त विषयक आपके स्तर से उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 1–11–2011 से 10 वर्ष पूर्व अर्थात 1.11.2001 तक संविदा कार्मिक के रूप में नियुक्त हुए शेष प्रकरणो में विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में समिति की बैठक आहूत की गयी।

समिति की बैठक में रूद्रपुर डिपो, नैनीताल क्षेत्र का एक संविदा कार्मिक परिचालक पद पर विनियमितीकरण हेतु अर्ह पाया गया है तथा एक संविदा कार्मिक परिचालक पद पर विनियमितीकरण हेतु अर्ह नहीं पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

रूद्रपुर डिपो, संविदा परिचालक,

क0 सं0	नाम (सर्वश्री) एवं जाति	अन्तिम वरिष्ठता सूची का कमांक	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता	मण्डलीय स्तर की संस्तुति	मुख्यालय समिति की संस्तुति
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बृजबिहारी लाल	61	10–7–1956	18–5–1998	बी0ए0 पास	नियमितीकरण हेतु समस्त अर्हता रखते है, परन्तु आयु सीमा में 06 वर्ष 10 माह 08 दिन छूट की आवश्यकता है।	**शासन के पत्र संख्या 17/2014/32/IX/2011 दिनांक 7–2–2014 के बिन्दु संख्या–1 के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुये अनापत्ति दी जाती है।**

क0 सं0	नाम (सर्वश्री) एवं जाति	अन्तिम वरिष्ठता सूची का कमांक	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता	मण्डलीय स्तर की संस्तुति	मुख्यालय समिति की संस्तुति
2	श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री नारायण दत्त जोशी	63	6–6–1965	11–6–1998	12 वीं पास	अभ्यर्थी को संदर्भित अवधि में निकाला नहीं गया है तथा नियमितीकरण हेतु अर्हताये रखते है। नियमितीकरण की संस्तुति की गई।	**अनापत्ति नहीं दी जाती है।**

(हंसा दत्त पांडे)
पी0सी0एस0
महाप्रबन्धक (प्रशासन)
निगम मुख्यालय।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1– प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– उप महाप्रबन्धक (तकनीकी), निगम मुख्यालय को इस आशय से कि कृपया उक्त सूची निगम की वैबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3– नोटिस बोर्ड निगम मुख्यालय।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)
निगम मुख्यालय।